

अमाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 747] No.747] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 9, 2015/चैत्र 19, 1937

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 9, 2015/CHAITRA 19, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2015

का.आ. 973(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1399 (अ), तारीख 27 सितंबर, 2005 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रमश: कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत, निम्न प्रविष्टियों के स्थान पर:-

"67 नागापटिनम – तंजावूर – त्रिची – करूर - कोयंबटूर	किमी 0.000 से किमी 332.600"
--	-----------------------------

निम्नलिखित प्रविष्टियां क्रमश: कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत प्रतिस्थापित की जाएंगी:-

"67	नागापटिनम – तंजावूर – त्रिची – करूर	किमी 0.000 से किमी 218.200"
-----	-------------------------------------	-----------------------------

[फा.सं. एनएच-14013/6/2014-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

टिप्पण: मूल अधिसूचना को सं. का.आ. 1399 (अ), तारीख 27 सितंबर, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार सं. का.आ. 675 (अ), 5 मार्च, 2014 द्वारा संशोधित किया गया था।

1621 GI/2015 (1)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th April, 2015

S.O. 973(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1399 (E), dated the 27th September, 2005, namely:—

In the Table to the said notification, for the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively:—

"67	Nagapatinam-Thanjavur-Trichy-Karur-Coimbatore	From Km. 0.000 to Km. 332.600."

the following entries under columns number (1), (2) and (3) respectively, shall be substituted:-

"67	Nagapatinam-Thanjavur-Trichy-Karur	From Km. 0.000 to Km. 218.200."

[F. No. NH-14013/6/2014-P&M] MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Note:—The principal notification was published vide number S.O. 1399(E), dated the 27th September, 2005 and subsequently amended *vide* number S.O. 675(E), dated the 5th March, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2015

का.आ. 974(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निर्देश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कालम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कालम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 22 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

सारणी

(1)	(2)	(3)
22.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 (नई रारा सं. 40) [िकमी 0.0 से किमी 106.40 (चेन्नै से वालझा) तक	तमिलनाडु
	खंड को छोड़कर] और रारा सं. 4 के किमी 13.8 से शुरू होने वाला और रारा-5 (नई रारा सं.	राज्य
	16) के किमी 13.6 पर मिलने वाला बाइपास (चेन्नै बाइपास चरण-।।), रारा सं. 45 (नई	सरकार
	रारा सं. 32, 132, 38, 83 और 183) [चेन्नै – त्रिची – डिंडीगुल खंड के किमी 27.8 से	
	किमी 421.650 और किमी 2.750 से किमी 73.40 (डिंडीगुल – थेनी खंड) तक खंड को	

[भाग II—खण्ड 3 (ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3

छोड़कर], रारा सं. 45ए (नई रारा सं. 32 और 332), रारा सं. 45बी (नई रारा सं. 38) [मदुरै – अरुपूकोट्टई – तूतीकोरीन तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 47 (नई रारा सं. 66 और 544) [िकमी 0.000 से किमी 182.040 (सलेम से तमिलनाड़/केरल सीमा) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 49 (नई रारा सं. 87), [िकमी 5.000 से 118.795 किमी तक (मद्रै – परमाकुंडी – रामनाथपुरम तक खंड को छोड़कर)], रारा सं. 66 (नई रारा सं. 32 और 77) [तमिलनाडु/पांडिचेरी सीमा – टिंडीवनम – तिरूवन्नामलाई – कृष्णागिरी तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 67 (नई रारा सं. 83, 81 और 181) [किमी 0.000 से किमी 218.200 (नागापटिनम - तंजावूर - त्रिची - करूर तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 68 (नई रारा सं. 79) (सलेम/उलूंडरपेट खंड तक को छोड़कर), 205 नई रारा सं. 716 [तमिलनाडु/आंध्र प्रदेश सीमा – तिरूथानी – चेन्नै तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 207 (नई रारा सं. 648), रारा सं. 208 (नई रारा सं. 744), रारा सं. 209 (नई रारा सं. 83), रारा सं. 210 (नई रारा सं. 336 और 536) [किमी 10.000 से किमी 174.000 (त्रिची - करईकुडी - देवाकुट्टई रास्ता -करईकडी - रामनाथपुरम खंड) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 219 (नई रारा सं. 42), रारा सं. 220 (नई रारा सं. 183) [किमी 215.500 से किमी 273.600 (थेनी - कृमिली) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 226 (नई रारा सं. 135) (पेरांबलूर - पेराली - कीलापाल्लूर -अरियालर – कुन्नम – तिरूवईयारू – कांडियर – तंजावर), रारा सं. 230 (नई रारा सं. 85), रारा सं. 234 (नई रारा सं. 75 और 38), नई रारा सं. 381 और नई रारा सं. 532 के उतने भाग जो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित हैं।

[फा. सं. एनएच-14013/6/2014-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

टिप्पण : मूल अधिसूचना को का.आ. 1096(अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ. 254(अ), तारीख 28 जनवरी, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th April, 2015

S.O. 974(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 22 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

TABLE

(1)	(2)	(3)
22	So much of National Highway No.4 (New NH No. 40)[excluding from Km. 0.0 to	State
	Km. 106.40 (from Chennai to Wallajah)] and the bypass starting from Km. 13.8 of	Government
	NH-4 and joining at Km. 13.6 of NH-5 (New NH No. 16) (Chennai Bypass Phase-	of Tamil
	II), No.45 (New NH No. 32, 132, 38, 83 and 183) [excluding from km. 27.8 to	Nadu
	421.650 of Chennai-Trichy-Dindigul section and from km. 2.750 to km. 73.40	
	(Dindigul-Theni Section], No. 45A (New NH No. 32 and 332), No. 45B (New NH	
	No. 38)[excluding Madurai-Arupukotai-Tuticorin section], No.47 (New NH No. 66	
	and 544) [(excluding from Km. 0.000 to Km.182.040 (from Salem to Tamil	
	Nadu/Kerala Border)], No.49 (New NH No. 87) [excluding from Km. 5.000 to Km.	
	118.795 (Madurai-Paramakudi-Ramanathapuram section)], No.66 (New NH No. 32	
	and 77) [excluding Tamil Nadu/ Pondicherry Border-Tindivanam-	
	Thiruvannamalai-Krishnagiri sections), No.67 (New NH No. 83, 81 and 181)	
	[excluding from Km. 0.000 to Km. 218.200 (Nagapatinam-Thanjavur-Trichy-Karur	
	section)], No.68 (New NH No. 79) [excluding Salem-Ulundurpet Sections), No.205	
	(New NH No. 716) [excluding Tamil Nadu/Andhra Pradesh Border-Thiruthani-	
	Chennai Sections), No.207 (New NH No. 648), No.208 (New NH No. 744), No.209	
	(New NH No. 83), No. 210 (New NH No. 336 and 536)[excluding from km. 10.000	
	to km. 174.000 (Trichy-Karaikudi-Devakottai Rastha-Karaikudi-Ramanathapuram	
	section)], No.219 (New NH No. 42), No.220 (New NH No. 183) [excluding from	
	km. 215.500 to 273.600 (Theni-Kumili)], No. 226 (New NH No. 135) (Perambalur-	
	Perali- Keelapalur- Ariyalur- Kunnam- Thiruvaiyaru- Kandiyur-Thanjavur), No.	
	230 (New NH No. 85), No. 234 (New NH No. 75 and 38), new NH No. 381 and	
	New NH No. 532 as are situated within the State of Tamil Nadu.	

[F. No. NH-14013/6/2014-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Note:—The principal notification was published *vide* number S.O.1096(E), dated the 4th August, 2005 and was last amended *vide* number S.O. 254(E), dated the 28th January, 2015.